न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–43/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मोनू पाण्डेय एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
01/12/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 95/मद्य नि0को0, दिनांक 30.01.19 से प्राप्त सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–171/18 दिनांक 23.08.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम यथा संशोधित–2016 के अन्तर्गत जब्त कुल चार वाहन (1) ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480, (2) पिकअप बोलेरो रजि0 नं0–BR07GA-7050 (3) मोटर साईकिल रजि0 नं0–BR07N-7719 एवं (4) काला–लाल रंग का बिना नम्बर का मोटर साईकिल जिसका वास्तविक चेसिस नं0–MBLJAS019H9F05695 तथा इंजन नं0–JA06EGH-9F05687 के राज्यसात् हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त थाना कांड में जब्त वाहन (1) पिकअप बोलेरो रजि0 नं0–BR07GA-7050 (2) ग्लैमर मोटर साईकिल रजि0 नं0–BR06BK-2829 चेसिस नं0–MBLJAS019H9F05695 तथा इंजन नं0–JA06EGH-9F05687 (3) मोटर साईकिल रजि0 नं0–BR07N-7719 कि कार्यवाही समाप्त करते हुए निष्पादित किया जा चुका है। वर्त्तमान सुनवाई उक्त थाना कांड में जब्त एक अन्य वाहन ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 के लिए है। उक्त वाहन के स्वामी दिनेश कुमार, पिता–रामबाबू को कारण–पृच्छा हेतु निबंधित डाक से दिनांक–11.11.2019 को नोटिस निर्गत किया गया। परंतु वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नही हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किये और न ही निर्गत नोटिस वापस प्राप्त हुआ। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई कि गई। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली की भरवाड़ा में विदेशी शराब की बड़ी खेप ट्रक से उतरने वाली है। उक्त सूचना पर एक टीम गठित करते हुए सशस्त्र बल के साथ भरवाड़ा बाजार के विभिन्न जगहो पर छापामारी करते हुए शिवजी साह के दाल मिल में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में दाल मिल के कैम्पस में लगे हुए ट्रक पर से तथा अन्य स्थान से कुद कर अभियुक्तगण भागने लगे, जिसे धावा दल के द्वारा खदेड़कर कुछ लोगो को पकड़ा गया तथा कुछ लोग भाग निकले। तत्पश्चात् पकड़ाये अभियुक्त से नाम/पता पूछने के पश्चात वहाँ खड़ी ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 एवं अन्य वाहनों तथा दाल मील गोदाम की तलाशी ली गई, तो उक्त जब्त वाहन ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 एवं अन्य तीन वाहन तथा गोदाम से कुल मिलाकर–18480 बोतल में कुल 4627.440 लीटर रॉयल स्टैग कम्पनी का अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। पकड़ाये व्यक्ति से पूछताछ के दौरान अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार करने में संलिप्तता स्वीकार किया। इस प्रकार जब्त वाहन ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 का अवैध शराब के परिवहन में उपयोग किया गया है। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजतों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 एवं अन्य तीन वाहन तथा गोदाम से कुल मिलाकर .18480 बोतल में 4627.440 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है। जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया।	

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि पूर्व में अन्य तीन वाहनों के लिए कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। वर्त्तमान कार्यवाही जब्त ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 के लिए की गई है। उक्त जब्त वाहन ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 के स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु निबंधित डाक से दिनांक–11.11.2019 को नोटिस भेजा गया। परंतु वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया और न ही निर्गत नोटिस वापस प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–171/18 दिनांक 23.08.2018 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन ट्रक रजि0 नं0–RJ11GA-3480 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।